

प्रथम

श्री अशोक यादव,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केंद्र 2, नया दिल्ली,  
प्रोविंशियल विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

मसजद: दिनांक: 22 फरवरी, 1996

विषय:-

कृष्णा परियाक हातेरियट काशीपुर नैनीताल को सी०पी०एन०के० नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनुपारित प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

सकोटय,

उपरोक्त विषय पर मुझे पत्र सहने का निदेश हुआ है कि कृष्णा परियाक हातेरियट काशीपुर नैनीताल को सी०पी०एन०के० नई दिल्ली से सम्बन्धता प्रदान लिये जाने में क्या राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपरित नहीं है :-

- 1- विद्यालय की संबन्धित कोलाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होमा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न स्थाजों के लिए नियमित हुए से अधिक हुए नहीं लिया जायेगा ।
- 4- सेवा द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से केन्द्रिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोलित कार दि ईडियन क्लब सटीफिकेट इवकारिमेसन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 5- सेवा के अधीन स्थित कर्मचारियों की राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसन्ध वेतनमानों तथा अन्य भातों से सम वेतनमान तथा अन्य भातों नहीं दिये जायेंगे ।
- 6- कर्मचारियों की सेवा भर्तें करायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त असातकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसन्ध सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

Attested  
Passports  
Dr. Rajendra Prasad  
Lecturer in Civil Engrg.  
Govt. Polytechnic Kashipur  
24/2/96

7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

8- विद्यालय का रिजर्व निर्धारित प्रपत्र/परिष्कारों में रखा जायेगा ।

9- उद्यत शक्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन का परिष्पन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होना कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि -

1- विद्यालय का निजी भवन तीन वर्ष के भीतर निर्मित कर शासन को उपगत कराया जायेगा ।

2- कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि योजना छः माह के भीतर लागू करके अभीष्टों सहित शासन को उपगत कराया जायेगा ।

3- सम्पत्ता देने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि विद्यालय के पास पर्याप्त भूमि है और ड्रीड्रा स्थल हेतु प्लान उपलब्ध है ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होना और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है उपरोक्त करने में किसी प्रकार की पूरक या शिथिलता करती या रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

प्रमुख अधिकारी  
संयुक्त तयिय ।

*Attested*  
*Measure*  
Dr. Rajendra Narain Saxena  
Lecturer in Civil Engrg.  
Govt. Polytechnic Kashipur  
2A4713

पु0सं0 4555111/15-7-1996 तदुद्दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुधनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- सहायक संयुक्त शिक्षा निदेशक, कुमायूँ सहायक निरीतात ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, निरीतात ।
- 4- निरीक्षक, ज्ञान भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, कुमायूँ परिसर कॉलेजियट, काशीपुर निरीतात ।

आज्ञा है,

प्रमुख अधिकारी  
संयुक्त तयिय ।

Arun Kumar Saxena  
Chairman

Board of Trustees

Krishna Memorial Trust

For Krishna Public Collegiate

A School